

संख्या- 762 / XV-1 / 2023 11(4)2023

प्रेषक,

राजेंद्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।762
25/1/2023
DAM

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल, 2023

विषय: चारा बीज वितरण की कार्ययोजना के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन, आय सृजन का महत्वपूर्ण साधन हैं। पशुपालन आधारित व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और किसी न किसी रूप में घरेलू आर्थिकी, स्वरोगार एवं खाद्य सुरक्षा में सीधे योगदान करता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों की लागत में पशु आहार पर लगभग 70 प्रतिशत से अधिक व्यय होता है। पर्वतीय अंचलों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पशुपालन व्यवसाय को अपनाने में मुख्यतः वर्ष भर पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। चारे के प्रबन्धन एवं अर्जन में कृषकों (मुख्यतः महिलाओं) का काफी समय व्यतीत होता है। इस समस्या को दूर करने से चारे का प्रबन्धन ही नहीं परन्तु महिलाओं का कार्य भी न्यून होगा और इससे बचने वाले समय को वह अपने परिवार को दे सकेंगी।

2. पर्वतीय क्षेत्र में महिलायें ही मुख्य रूप से पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी हैं। हरे चारे के अभाव में महिलायें चारे हेतु मीलों का सफर तय करती हैं, फिर भी पौष्टिक चारे के अभाव में पशुओं के उत्पाद का उत्पादन कम है। फलस्वरूप अत्यधिक श्रम के उपरान्त पशुपालन लाभकारी नहीं हो पा रहा है। अतः महिलाओं का कार्य बोझ कम करने एवं पशुओं हेतु पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु चारा बीज वितरण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार परिचालन दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

चारा बीज वितरण योजना का उद्देश्य-

1. हरे चारे की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त प्रमाणित चारा क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. साइलेज हेतु हरा चारा की उपलब्धता एवं राज्य में पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना।
3. राज्य में मौसमी हरा चारा उत्पादन के क्षेत्रफल में वृद्धि करना।
4. हरा एवं पौष्टिक चारे की प्रचुर उपलब्धता के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सुधार एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना।
5. पशु उत्पाद के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार से पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।
6. राज्य में हरे चारे की मांग व आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
7. पशुधन हेतु वर्षभर हरे चारे की उपलब्धता निरन्तर बनाए रखना।



8. दलहनी एवं मौसमी फसलों के उपयोग से मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करना।

उत्तराखण्ड चारा बीज वितरण योजना के परिचालन हेतु दिशा निर्देश

पशुपालक के द्वार पर हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने हेतु आगामी वर्षों में पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क मौसमी चारा बीज का वितरण किया जायेगा। राज्य में पशुपालकों द्वारा वर्तमान तक अप्रमाणित/बहुत पहले विमोचित की गयी किस्मों के बीज का प्रयोग हरा चारा उत्पादन में किया जा रहा था, जिससे हरा चारा उत्पादन एवं उत्पादकता बहुत कम थी। प्रमाणित बीज का प्रयोग कर पशुपालक हरा चारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर आय में बढ़ोत्तरी कर सकेगा। योजना का लाभ राज्य के समस्त पशुपालकों को होगा। प्रतिवर्ष राज्य के पशुपालकों को उत्तम प्रजाति के चारा बीजों का क्रय प्रमाणित बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन मौसमी चारा फसल की बुआई से 2 माह पूर्व कर दिया जायेगा तथा बीज प्राप्ति तथा चारा बीज मिनिक्विट प्राप्त होते ही बीज/मिनिक्विट का वितरण पशुपालकों को निःशुल्क कर दिया जायेगा। लाभार्थियों को योजना का लाभ "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर ही दिया जायेगा। मौसमी चारा बीज की बुआई से पूर्व जी०पी०एस० लोकेशन ले लिया जायेगा। राज्य के उच्च पर्वतीय, मध्य पर्वतीय, भाबर एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु चारा फसलों की उन्नत प्रजातियां निम्नानुसार है:-

जोन/चारा फसलें	जनपद/प्रजाति
भाबर एवं तराई	देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी एवं अन्य मैदानी क्षेत्र
मक्का	African Tall, Pratap Makka
चरी	CSH-13 Hybrid (Single Cut Dual Purpose Type), CSH-20 MF (Multi Cut Variety), Pant Chari-7 (Dual Purpose Variety), Pant Chari-6 (Gives 2-3 Cuts), Pant Chari-8 (Suitable for both Zaid & Kharif)
बाजरा	Single cut : Giant Bajra, Multicut : FBC-16, Dual Purpose:AVKB-19
जई	Bundel Jai-991(JHO-99-1), Bundel Jai-992 (JHO-99-2), UPO-94, RO-11-1, Plant Forage Oat-3 (UPO-06-2), Palampur-1, Kent
बरसीम	BL-180,UPB-110, Wardan, Bundel Berseem-2
मध्य पर्वतीय	टिहरी गढवाल, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल, पौड़ी एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र
मक्का	African Tall, J-1006
चरी	CSH-13-R Hybrid (Single Cut Dual Purpose Type), CSH- 20MF (Multi Cut Variety), Pant Chari-7 (Dual Purpose Variety), Pant Chari-6 (2-3 cuts)
बाजरा	Giant Bajra, Multicut: FBC-16, Dual Purpose: AVKB-19
जई	Bundel Jai-991 (JHO-99-1), Bundle Jai-992 (JHO-99-2), UPO-94, RO-11-1, OS-424, SKO-225, OS-405, SKO-96 (Shalimar Fodder Oats-2)Pant Forage Oat -3 (UPO-06-1), Pant Forage Oat-4, Palampur-1, Kent
बरसीम	BL-180 (Hill Zone Under Irrigated Conditions) UPB-110, Wardan
उच्च पर्वतीय	उत्तरकाशी , चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ व बागेश्वर

मक्का	African Tall, Pratap, Makka
चरी	CSH-13-R Hybrid (Single Cut Dual Purpose Type), CSH-20MF (Multi Cut Variety), Pant Chari-7 (Dual Purpose Variety) Pant Chari-6 (2-3 Cuts) Pant Chari-8 (Suitable for Zaid & Kharif)
जई	Bundel Jai-991 (JHO-99-1), Bundle Jai- 992 (JHO-99-2), UPO-94, RO-11-1, OS-424, SKO-225, OS-405, SKO-96, SKO-90 (Shalimar Fodder Oats-2), Palampur-1
बरसीम	BL-180, UPB-110, Warden in Valleys

3. उक्त के अतिरिक्त अन्य उन्नत प्रजातियों को भी प्रत्येक जोन में सम्मिलित किया जा सकेगा तथा अन्य मौसमी चारा फसल जैसे-लोबिया, चाइनीज, कैबेज आदि फसलों को भी प्रत्येक जोन में सम्मिलित किया जाए। मौसमी चारा फसलों की खेत की तैयारी के समय आवश्यक मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट खाद (10-15 टन प्रति है० की दर से) एवं जैविक फर्टिलाइजर का उपयोग लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

उत्तराखण्ड चारा बीज वितरण योजना एवं अनुश्रवण से लाभ-

1. पशुधन के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 15-20 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे प्रदेश की जी०एस०डी०पी० में पशुधन सेक्टर से महत्वपूर्ण योगदान होगा।
2. पशुधन के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार आयेगा तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने के साथ साथ गर्भधारण दर में भी वृद्धि होगी।
3. पौष्टिक एवं हरा चारा उत्पादन के साथ ही भूमि की जैव उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी।
4. चारा उत्पादकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा तथा वर्ष भर हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
5. चारा उत्पादन की परम्परागत पद्धति में बदलाव होगा जिससे चारा उत्पादन पर लागत दर कम होगी।
6. प्रदेश में पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-2 स्थायी एवं टिकाऊ डेयरी क्षेत्र का विकास होगा।
7. अकृषित भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा।
8. राज्य में चारा बीज प्रदर्शन के माध्यम से उन्नत प्रजातियों का चयन करना।

4. पशु सेवा केन्द्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुचिकित्सालय पर पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी एवं चारा विकास अधिकारी चारा बीज वितरण एवं अनुश्रवण करने हेतु उत्तरदायी होंगे। चारा बीज वितरण की मासिक प्रगति (संलग्न प्रारूप-क) पर पशुचिकित्सालय से संकलित कर जनपद मुख्यालय के माध्यम से अपर निदेशालय स्तर को एवं अपर निदेशालय के माध्यम से निदेशालय स्तर को प्रेषित की जायेगी।

5. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारा बीज वितरण योजना एवं अनुश्रवण कार्ययोजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by Rajendra Kumar
Bhatt

Date: 28-04-2023 16:54:58
(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 762 (1) / XV-1 / 2023 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त पशुचिकित्साधिकारी/चारा विकास अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ambika

Vashishth

Date: 28-04-2023 17:40:46

(अम्बिका वाशिष्ठ)

अनु सचिव।

प्रारूप-क

चारा बीज वितरण एवं अनुश्रवण की मासिक प्रगति हेतु प्रारूप

माह-.....वर्ष-.....

1. जनपद का नाम -
2. विकासखण्ड का नाम -
3. पशुचिकित्सालय का नाम -
4. पशु सेवा केन्द्र का नाम -